न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 10/2023

प्रार्थी:-

छगलाराम पुत्र भबूतराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी सुभाष चौक ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. देवाराम पुत्र उदाराम जाति भाट निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थी - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं.- 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 2- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :- 09/12/25**

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 937 रकबा 1.2378 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसके खाता संख्या 411 है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 938 रकबा 0.6553 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 468 है तथा खसरा संख्या 938 के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 964 रकबा 5.1857 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता ग्राम भावी सीरवीबास आया हुआ है तथा खसरा संख्या 964 गै. मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत भावी के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम भावी से ग्राम भावी सीरवीबास की सरहद/काकड़ में स्थित बोरनाडा रामदेवजी के मन्दिर तक जाता है। प्रार्थी तथा अप्रार्थी 1 से द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 938 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 938 की भूमि में से लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में आने-जाने हेतु कायम किया तथा प्राथी द्वारा खसरा संख्या 938 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में आने-जाने हेतु उपयोग करता आ रहा है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 938 के पश्चिमी दिशा में खसरा संख्या 964 रकबा 5.1857 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है तथा खसरा संख्या 964 गै.मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत भावी के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम भावी से ग्राम भावी सीरवीबास की सरहद/ काकड़ में स्थित बोरनाडा रामदेवजी के मन्दिर तक जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में काश्त कार्य हेतु आने-जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 938 की दक्षिणी माठ पर स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. का उपयोग करता है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही

प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता है, इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नहीं है तथा उक्त मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं है। भूमि खसरा संख्या 938 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 937 में पहुंचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा संख्या 938 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज से 10-12 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर दिया व तारबन्दी कर बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में आने-जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थी का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का खसरा संख्या 938 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध खसरा संख्या 938 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. वांछित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 938 रकबा 0.8553 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा संख्या 938 रकबा 0.6553 हैक्टेयर का भाग है, जो राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 937 रकबा 1.2378 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 938 रकबा 0.6553 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि में पहुंचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेता है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 938 रकबा 0.6553 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे । अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 937 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 938 रकबा 0.6553 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की. जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा सं. 937 ग्राम भावी सीरवी बास में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आस पडौस के खेतों से आना जाना करते है प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में खसरेवार निम्नानुसार रकबा जायेगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर से दो गुणा राशि निम्न प्रकार है। उक्त भूमि असिंचित है तथा डामर सडक से दूर है।

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टयर में	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	खातेदार का हिस्सा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी दर की दो गुणा राशि
1.	देवाराम पुत्र उदाराम जाति भाट	938	0.6553	8 बिस्वा	पूर्ण	280000	36250
	योग			8 बिस्वा			36250

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 938 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 937 में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 938 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 937 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.01.2025 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा